RKSK
Rashtriya Kishor
Swasthya Karyakram
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

बाल विवाह की प्रथा तोड़ें,
सेहत से नाता जोड़ें

पिछले अंक में हमने पढ़ा कि माधव–मुस्कान की मौसेरी बहन रीता को क्यों शारीरिक, आर्थिक व मानसिक दुष्परिणाम का शिकार होना पड़ा जबकि मीता की शादी के समय परिस्थितियाँ अलग थीं। इस अंक में हम पढ़ेंगे नाबालिग रश्मि की कहानी। क्या देखकर उसकी माँ की आँखें खुल जाती हैं ? पढ़िए –

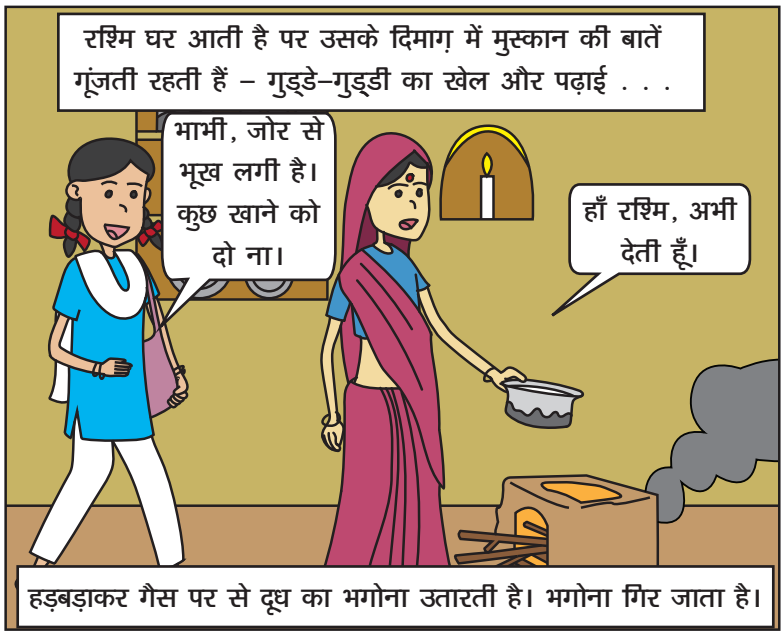

दूसरे दिन शाला में –

रश्मि, सुना है तेरी शादी होने वाली है ?

पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। भाभी की हालत देख कलेजा मुँह को आता है।

हाँ, मेरा भी। सोचती हूँ, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ?

क्यों न हम आशा दीदी को इनके यहाँ ले चलें।

माधव–मुस्कान आशा दीदी को सारी बातें बताते हैं। फिर सब रश्मि के घर जाते हैं।

आइए आशा दीदी। आज आपको रश्मि की सगाई की मिठाई खिलाऊँगी।

क्या ? रश्मि की सगाई कर दी ? लड़का क्या करता है ?

दसवीं में पढ़ रहा है।

रश्मि आठवीं में और वह दसवीं में ?

अरे किरण ? कितनी कमज़ोर हो गई है ? रंग भी फीका पड़ गया है।

शुरू में भाभी कितनी स्वस्थ थीं। मेरे साथ खूब खेलती थीं। मेरी किताबें पढ़ती थीं।

क्या खेलना ? क्या पढ़ना ? सब चोचले हैं। बस, जल्दी से इसके पाँव भारी हो जाए तो पोते को गोद में खिला लूँ।

गायत्री भाभी, अभी तो किरण अपनी रश्मि की उमर की ही है। नाबालिग है। अभी से माँ बनना ?

हाँ तो क्या हुआ ? माहवारी आ गई तो माँ तो बन ही सकती है।

भाभी, माहवारी आने की उम्र भले ही हो। पर यह माँ बनने की उमर थोड़े ही है।

तो क्या मुझे अभी पोते का मुँह देखना नसीब नहीं होगा ?

इस उम्र में शारीरिक व मानसिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाता . . और ऊपर से काम का बोझ!!

वो तो ससुराल में सभी को करना पड़ता है। हमने भी तो . . .
किरण कम उमर में शादी के कारण अभी इतनी कमज़ोर है। इसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा।
गायत्री काकी, यदि नींव कमजोर होगी तो मकान कमजोर होगा ना ?
कम उमर में माँ बनना मतलब जान जोखिम में डालना।

तो क्या इस उम्र में मेरी शादी हो गई तो मेरी भी ऐसी ही हालत होगी ?
नहीं, नहीं। मैं मेरी लाड़ली बेटी की ऐसी हालत नहीं होने दूँगी। रश्मि की शादी इसके बालिग होने के बाद . . . .

गायत्री भाभी, क्या किरण आपकी लाड़ली बहू नहीं है ?
हाँ, हाँ, क्यों नहीं !!

तो फिर आप संकल्प लो कि आप दादी तभी बनेंगी जब बेटे–बहू बालिग हो जाएं।
हाँ, संकल्प लेती हूँ और ध्यान रखूँगी कि किरण पर काम का बोझ कम हो . . . . वह ठीक से खाए–पीए, खुश रहे . . .

अच्छा गायत्री भाभी, मैं चलती हूँ।
दीदी, आपने मुझे अच्छा ज्ञान दिया। कुछ समस्या हुई तो मैं आपसे सम्पर्क करूँगी।

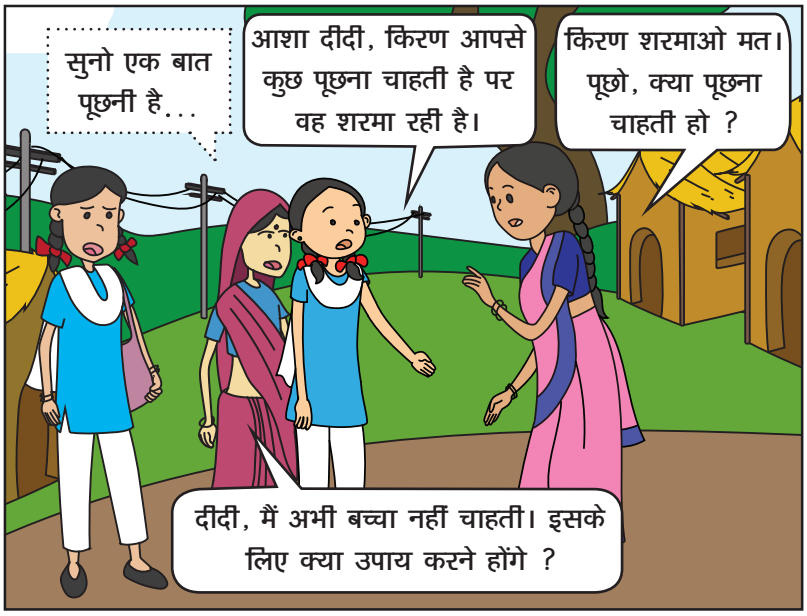

इस अंक में हमने पढ़ा कि बाल विवाह का नाबालिग किरण की सेहत पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगले अंक में हम किशोर बालक–बालिकाओं के साथ पिकनिक पर चल रहे हैं।
देखते हैं वे वहाँ क्या धूम मचाते हैं –

पढ़ी गई कहानी के अनुसार, हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे:

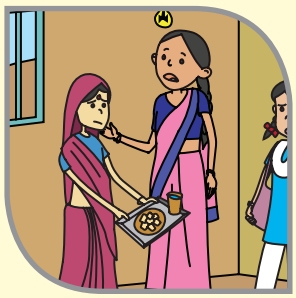

बालिका वधू की स्थिति

बाल विवाह के बाद नाबालिग लड़की की ससुराल में कैसी स्थिति रहती है ?

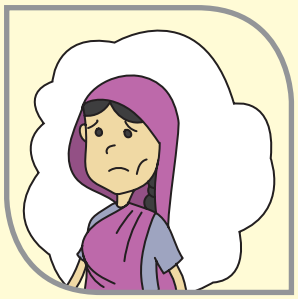

शारीरिक-मानसिक प्रभाव

बाल विवाह का नाबालिग लड़की के शारीरिक व मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

नाबालिग का गर्भधारण

यदि नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाए तो ?

परिवार नियोजन के साधन

परिवार नियोजन के कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं ? इनकी जानकारी किनसे मिलेगी ?

विवाह की सही उम्र

21 18

विवाह की सही उम्र क्या है ?

याद रखने वाले मुख्य संदेश

परिवार नियोजन के साधन

- अस्थाई साधन
  - पुरूष के लिए
    - 1. प्राकृतिक अपूर्ण संभाग
    - 2. कंडोम
  - महिला के लिए
    - 1. प्राकृतिक सुरक्षित काल
    - 2. हारमोनल खाने की गोलियाँ
    - 3. बिना हारमोन वाली खाने की गोली–सहेली गोली
    - 4. कॉपर टी
    - 5. रासायनिक जेली
- स्थाई साधन
  - पुरूष के लिए
    - नसबंदी
  - महिला के लिए
    - नसबंदी पारम्परिक
    - दूरबीन से

- कंडोम व गर्भनिरोधक गोलियाँ आशा दीदी, नर्स दीदी, आँगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व दवाई की दुकान पर उपलब्ध होती है।
- आई–पिल एक आपातकालीन (इमरजेंसी) गर्भनिरोधक विकल्प है, जिसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई दम्पत्ति नियमित रूप से कोई अन्य गर्भनिरोधक तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हों।
- यह सभी जानकारी आशा दीदी, नर्स दीदी, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता व प्रशिक्षित डॉक्टरों से हमें प्राप्त हो सकती है।
- एक जरूरी जानकारी यह भी है कि जिला अस्पतालों में सलाहकार या परामर्शदाता होते हैं जो कि किशोर–किशोरियों को सलाह दे सकते हैं।
- आमतौर पर ये सलाहकार नियमित रूप से अस्पताल में उपलब्ध होते हैं पर ये बेहतर होगा, अगर हम उनके अस्पताल आने का दिन और समय पहले से पता कर लें।

साथिया

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- आशा की सहायता से गांव में 10 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोर/किशोरियों की सूची तैयार करना।
- स्वास्थ्य एवं संरक्षण के मुद्दों के संबंध में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में किशोर/किशोरियों की सहायता करना।
- आशा/ए.एन.एम. की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय व सुरक्षा संबंधी जरुरत में दूसरी जगह रेफर करवाना।
- किशोर/किशोरियों की बातों की हमेशा गोपनीयता बनाए रखना।
- बच्चों और किशोर/किशोरी पर हिंसा के मामलों को पुलिस या बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करना।
- हिंसा के शिकार व्यक्ति की चिकित्सा देखभाल एवं परामर्श लेने और कानूनी सहायता हासिल करने में सहायता करना।
- धर्म, जाति, वर्ग, जेंडर या वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना सभी किशोर/किशोरियों तक पहुंचना।

पहला अंक

दूसरा अंक

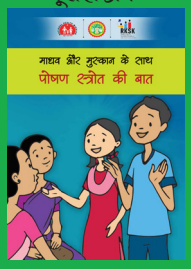

तीसरा अंक

चौथा अंक

पांचवां अंक

छठा अंक

सातवां अंक

आठवां अंक

नौवां अंक

दसवां अंक

ग्यारहवां अंक

बारहवां अंक

तेरहवां अंक

चौदहवां अंक

पंद्रहवां अंक

सोलहवां अंक

सत्रहवां अंक

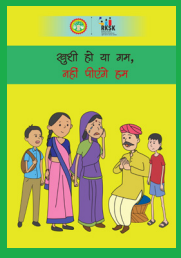

अठारहवां अंक

उन्नीसवां अंक

बीसवां अंक

UNFPA

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपांकित